

जिला वैशिक शिक्षा अधिकारी
बलिया ।

सेवा में,

प्रबन्धक/प्रधानाध्यापक-

महाराज सर एच.डी. सेवा शक्ति अकादमी खजुराबाद
जनपद- बलिया ।

क्रमांक/दिनांक 13485/08-89

दिनांक:- 29-3-90

विषय:- जुनियर हाई स्कूल की अस्थायी मान्यता के संतथा में ।

महोदय,

उपर्युक्त विभाजक आपके आवेदन पत्र के संतथा में सूच्य है कि जिला स्तर पर मान्यता मण्डल को संस्तुति के आधार पर आपके विद्यालय की कक्षा 6 मे 8 तक इन्टिग्रेट हाई स्कूल स्तर की अस्थायी मान्यता 1-5-89 से 30-6-90 तक निम्नलिखित प्रतिबन्धों के अधीन स्वीकृत की गई है :-

निर्धारित समय सीमा के अन्तर्गत प्रत्येक कक्षा /वर्ग के लिये 25x20 माप के विद्यालय कक्षा तथा 30x20 माप का पर्याप्त विज्ञान कक्षा कार्यालय और भाण्डार कक्षा केअतिरिक्त निर्मित करा लिया जायेगा और स्थायी मान्यता के मास्त प्रतिबन्धों को पूरी कर ती जायेगी ।

- 1- नवम शालाया देशों के अनुसार अस्थायी मान्यता प्रथमवार उवर्ष के लिये दी जा रही है और फिर उससे क्रमशः एक वर्ष करके तीन और वर्ष तक वृद्धि की जा सकती है । यदि 6 वर्ष की अवधि की अस्थायी मान्यता पूरा की अवधि में मान्यता की सभी शर्तों को पूर्ण करके स्थायी मान्यता प्राप्त नहीं की जाती है तो फिर मान्यता की अवधि में वृद्धि नहीं की जायेगी ।
- 2- वर्तमान अथवा भविष्य में अप्रशिक्षित अध्यापक की नियुक्ति किसी भी दशा में अनुमत्या नहीं होगी ।
- 3- आप धारा प्रस्तुत पत्रजातों में जिनके आधार पर मान्यता स्वीकार की गई है को टूटि या अमत्या पाये जाने पर मान्यता समाप्त करने का सर्वाधिकार अधोहस्ताक्षर को सुरक्षित रहेगा ।
- 4- अदधानिक कक्षाओं का संचालन नहीं किया जायेगा ।
- 5- जिला वैशिक शिक्षा अधिकारी की लिखित पूर्वानुमति के बिना न कोई अध्यापक नियुक्त किया जायेगा और न ही उसकी सेवा समाप्त की जायेगी ।

भावदीया
जिला वैशिक शिक्षा अधिकारी
बलिया ।
24/3

पूरांकन संख्या / दिनांक/१११

-1/88-89

उसी तिथि को

- 1- जिला वैशिक शिक्षा अधिकारी महिला बलिया ।
- 2- विद्यालय उप निधीक्षक, बलिया ।
- 3- शिक्षा अधीक्षक नगरक्षेत्र, बलिया ।
- 4- जिला हरिजन तथा समाज कल्याण अधिकारी, बलिया ।

जिला वैशिक शिक्षा अधिकारी
बलिया ।
28-3-90